अपील संख्या 53/2025 एल आर एक्ट

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ
28.04.2025	पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई अभिभाषकगण उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति पर बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति पर बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाधीन कृषि भूमि में अपीलान्ट सहकाश्तकार/को शेयरर नही होने के कारण अपीलान्ट का कोई Locus Standai नही है, अपील प्रस्तुत करने का अधिकार अपीलान्ट को नही होने से अपील इसी स्टेज पर काबिल खारिजी है। अपील न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में नही होने से काबिल खारिजी के है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 86 पेज 597, (HIGH COURT) RRD 1986 पेज 172, (HIGH COURT) का न्यायिक दृष्टांत पेश कर कथन किया कि प्रकरण खाता विभाजन का होने के कारण अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय की अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार मे नही आती है। अपीलान्टे के अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति पर बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार भादरा के निर्णय दिनांक 12.11.2021 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट रणसिह ने अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा भी धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत निर्णय दिनांक 08.07.2024 पारित किया है, इसलिए इस न्यायालय में अपील धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश की गई है, जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। अतः रेस्पोडेन्ट की प्राथमिक आपत्ति खारिज की जावे, तथा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला अपील अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार की बाधा/रूकावत प्रार्थीगण के रास्ते के उपयोग मे न करे तथा अदालत मातहत के निर्णय की पालना स्थगित रखी जावें। हमने प्राथमिक आपत्ति का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। तहसीलदार (भू.अ.) भादरा जिला हनुमानगढ द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.11.2021 के द्वारा काश्तकारो की आपसी सहमती होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 का प्रयोग करते हुए खाता विभाजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए पारित किया है। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में अपील पेश की गई है। अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा उक्त खाता विभाजन की अपील का निर्णय दिनांक 08.07.2024 पारित कर दिया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय के विरूद्व इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है जो खाता विभाजन से संबंधित होने एवं प्रकरण Tenancy Act से संबधित है। अतः उक्त अपील का न्यायालय हाजा में क्षेत्राधिकार/ श्रवणाधिकार नही होने के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने हेतु स्वंतत्र है। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। [signature] अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर	रिकॉर्ड लौटाया 168-169 15.5.25